न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :— रामसिंह राजावत (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
208 / 2020	21.10.2020	04.01.2021

उनवान

1 रामसिंह पुत्र श्योनारायण जाति अहीर निवासी जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रार्थिया

बनाम

1 नरेश पुत्र वीरसिंह जाति अहीर निवासी जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

2 राजेश पुत्र वीरसिंह जाति अहीर निवासी जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

3 सावत्री पुत्र वीरसिंह जाति अहीर निवासी जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

4 मीना पुत्री वीरसिंह जाति अहीर निवासी जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

5 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार, मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर

—: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधि0

उपस्थिति :— 1— श्री महेश यादव, प्रार्थिया वकील
2— श्री नरेन्द्र चौधरी, वकील अप्रार्थी

—: निर्णय :—

दिनांक :— 04.01.2021

1. प्रार्थिया का सारतः प्रार्थना पत्र रहा कि :—

1. यह है कि आराजी खं0नं0 643 रकबा 0.17 है0 644 रकबा 0.04 है0 645 रकबा 0.05 है0 646 रकबा 0.04 है0 वाके ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर में स्थित है। जिस आराजी का प्रार्थना पत्र विवादित आराजी कहलायगी। विवादित आराजी मिन प्रार्थी और अप्रार्थी सं0 01 लगायत 04 की सामलाती खातेदारी की आराजी है। मौके पर [illegible] में प्राप्त हुई है तथा हम पक्षकारान में कोई [illegible] बंटवारा नहीं हुआ है। अप्रार्थी सं0 01 व 04 दीगर लोगो से मिलकर उक्त आराजी पर निर्माण करने पर उतारू है। कानूनन भी मिन प्रार्थी का सामलाती आराजी में हर इंच—इंच पर कब्जा माना गया है। अब सामलात में काश्त करना नामुमकिन हो रहा है। बस यही तारीख बिनायदावी व बिनायमुखस्मत पैदा होकर प्रार्थना पत्र तकासमा हु0ई0 दवामी पेश करना लाजिम आया। प्रार्थिनी के खातेदार अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है। इसलिए उक्त आराजी में से अपने भाग को बाई मीट्स एण्ड फाउण्डस, अच्छी में से अच्छी बाद कुरेजात के तकासमा कराकर तकासमा की फाईनल डिक्री प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:02:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण को तफैसला प्रार्थना पत्र स्थायी निषेद्याज्ञा से इस अमर से पाबन्द फरमाया जावे कि हाल आ0ख0नं0 643 रकबा 0.17 है0, 644 रकबा 0.04 है0 645 रकबा 0.05 है0 646 रकबा 0.04 है0 वाके ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर को दीगर जगह रहन, बैय करे, ना कोई निर्माण करे, मौके की यथा स्थिति बनाए रखें का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए समन तलब किया गया। बाद सूचना अप्रार्थी सं0 01 व 04 ने जरिए अधिवक्ता दिनांक 05.01.2020 को जवाब पेश किया।
3. बहस सुनी गई।
4. प्रार्थी के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 व सपठित धारा 151 जा0दी0पर बहस सुनकर मनन किया गया। न्यायालय द्वारा साक्ष्य एकत्रित नही की जा सकती। इसलिए यह प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है एवं पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस वकील उभय पक्षकारान पर मनन किया गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी का कथन रहा कि विवादित आराजी का विधिवत तकासमा हो जाने तक पूर्व में जारी स्थगन आदेश संपुष्ठ किया जावे। बहस वकील प्रार्थी का कथन रहा कि उक्त खसरा में खातेदार है। खसरा नम्बर 645 जगदीश पुत्र तोताराम का है उनका कब्जा है 644 में खुशीराम वगैरा 643 में रामसिंह व वीरसिंह 1/2 व 1/2 है। वीरसिंह फौत पर वारिशान बैठे है। पूर्व में आराजी का बहामी बटवारा हो चुका है। बहामी बटवारे के अनुसार कब्जे कास्त है। इसलिस प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को खारीज फरमाया जावें।

–: आदेश :–

न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्थगन आदेश दिनांक 21.10.2020 को खारीज उचित प्रतीत होता है खारीज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 04.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:02:34 IST
Reason: SelfAttested

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0